<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना</u>

(2022-2023)

सत्रहवीं लोक सभा

122

एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन

[शिक्षा मंत्रालय (उच्चत्तर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब]

(03.04.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च 2023/ चैत्र 1945(शक)

विषय - सूची

पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की संरचना		**(iii)**
प्राक्कथन		**(v)**
प्रतिवेदन		
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब।		1
परिशिष्ट		
परिशिष्ट-एक	भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय (उच्चत्तर शिक्षा विभाग) के माध्यम से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ को वर्ष-वार आवंटित निधियों (सहायता अनुदान) को दर्शाने वाला विवरण।	
परिशिष्ट-दो	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।	
परिशिष्ट-तीन	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित कालक्रमानुसार विवरण।	
परिशिष्ट-चार	समिति की दिनांक 18 जुलाई, 2022 को हुई बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	
परिशिष्ट-पांच	सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।	

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की संरचना</u>

(2022-2023)

श्री गिरीश चन्द्र - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
4. श्री पल्लब लोचन दास
5. श्री चौधरी मोहन जटुआ
6. चौधरी महबूब अली कैसर
7. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
8. श्री मारगनी भरत
9. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
10. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
11. श्री टी.एन. प्रथापन
12. श्री एस. रामलिंगम
13. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
14. श्री वाई. देवेन्द्रप्पा
15. श्री अशोक कुमार यादव

<u>सचिवालय</u>

1. श्री विनय कुमार मोहन - संयुक्त सचिव
2. श्री नवल के. वर्मा - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब से संबंधित समिति का यह एक सौ बाईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन और दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा), जिन्हें क्रमशः 08 मार्च, 1976, 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर,1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया, में की गई सिफ़ारिशों के अनुसार, सभी सांविधिक/स्वायत्त संस्थानों, कंपनियों, सरकारी उपक्रमों, निगमों, संयुक्त उद्यमों, सोसाइटियों, आदि के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखना आवश्यक होता है।

3. समिति द्वारा की गई संवीक्षा से पता चला कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2020-21 के अपेक्षित दस्तावेजों को निरंतर विलंब के साथ लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। समिति ने संस्थान के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब के मामले पर विचार किया और दिनांक 18 जुलाई, 2022 को हुई अपनी बैठक में शिक्षा मंत्रालय (उच्चत्तर शिक्षा विभाग) और आईआईआईटी, धारवाड़ के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 29.03.2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, शिक्षा मंत्रालय (उच्चत्तर शिक्षा विभाग) तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के अधिकारियों को समिति के समक्ष लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

<u>प्रतिवेदन</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब

आईआईआईटी धारवाड़ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 20 आईआईआईटी में से एक है। आईआईआईटी धारवाड एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जिसे 2015 में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और उद्योग भागीदार केओनिक्स के बीच संसद के एक अधिनियम (2017 का 23) के तहत सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में स्थापित किया गया था।

2. समिति ने मंत्रालय से अधिनियम, नियम या विनियम का उल्लेख करने को कहा जिसके तहत संगठन के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि -

> "...37. (1) प्रत्येक संस्थान की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निर्देशन में तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य मामलों के अलावा, संस्थान द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम और अनुसंधान परिणाम आधारित मूल्यांकन और ऐसे संस्थान में की जा रहे शोध शामिल होंगे और इसे ऐसी तारीख को या उससे पहले बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा, जैसा कि निर्दिष्ट किया जाता है और बोर्ड अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगा।
>
> (2) बोर्ड द्वारा अनुमोदित वार्षिक रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाएगा और संस्थान की वेबसाइट पर रखा जाएगा।
>
> (3) बोर्ड प्रत्येक वर्ष के लिए वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के बाद या उससे पहले पिछले वर्ष में संस्थान के कामकाज की अंग्रेजी और हिंदी में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और जारी करेगा, और इसकी एक प्रति उसी के साथ,

पिछले वर्ष के लिए आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं का एक संपरीक्षित विवरण केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को उस निर्धारित समय के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा, और इसे संसद के प्रत्येक सदन और संबंधित राज्य विधानमंडल के समक्ष सभा पटल पर रखा जा सकता है।।"

3. समिति ने मंत्रालय से इन दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखने के प्रावधान और उसकी समय-सीमा बताने को कहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि -

"'"भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) (आईआईआईटी-पीपीपी) के अधिनियम, 2017 की धारा 37(3) के अनुसार, वार्षिक रिपोर्ट को लेखापरीक्षित लेखाओं के विवरण के साथ तैयार किया जाएगा और वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ माह समाप्त होने से पूर्व जारी की जाएगा।"

4. समिति ने प्रदत्त पूंजी, सहायता अनुदान, ऋण सब्सिडी आदि के माध्यम से भारत सरकार द्वारा आईआईआईटी, धारवाड़ को वित्त पोषण के पैटर्न के बारे में पूछा, तो शिक्षा मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि-

"'"योजना के अनुसार प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ होगी जिसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार और उद्योग भागीदार (रों) का क्रमश: 50:35:15 के अनुपात का योगदान (पूर्वोतर क्षेत्र के लिए यह 57.5:35:75 के अनुपात में होगा) होगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार 10 करोड़ रुपए की राशि तक के आवर्ती व्यय हेतु सहायता देगी। शिक्षा मंत्रालय ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पहले ही ओएच-35 (पूंजी) के तहत 64 करोड़ रुपये और ओएच 31 (आवर्ती) के तहत 10 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।"।"

वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईआईटी, धारवाड़ को प्रदान किया गया वर्षवार अनुदान **परिशिष्ट -एक** में दिया गया है।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के 08 मार्च, 1976 को सदन में प्रस्तुत किए गए पहले प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा), 12 मई, 1976 को सदन में प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) तथा साथ ही, 22 दिस्मबर, 1977 को सदन में प्रस्तुत किए गए दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों के सन्दर्भ में संगठन/निगम/ सरकारी खेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखांकन वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक है। इस आवश्यकता के अनुपालन के लिए वार्षिक प्रतिवेदनों और वार्षिक लेखाओं के संकलन और उनकी लेखापरीक्षा के लिए उचित समय-सारणी निर्धारित की जानी चाहिए। समिति ने यह महसूस किया कि लेखापरीक्षित लेखाओं के संकलन और उन्हें लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने के लिए सामान्यतः तीन माह की अवधि पर्याप्त होगी; लेखाओं की लेखापरीक्षा, प्रतिवेदन के मुद्रण और इसे सभा पटल पर रखने हेतु सरकार के पास भेजने के लिए अगले 6 माह दिए जा सकते हैं। यदि किसी कारणवश, संगठनों/निगमों/सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो संबंधित मंत्रालय को उपरोक्त अवधि की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर या जब भी सभा समवेत हो, जो भी बाद में हो, दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को बताते हुए एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिए।

6. समिति ने आईआईआईटी, धारवाड़ के उन वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं की जांच की, जिन्हें शिक्षा मंत्रालय द्वारा संसद (लोकसभा) में सभा पटल पर रखा गया। इन पत्रों की जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि आईआईआईटी, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के दस्तावेजों को 07 से 22 माह से अधिक के विलंब से सदन के सभा पटल पर रखा गया था। इस प्रकार, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और आईआईआईटी, धारवाड़ वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ

माह के भीतर अपने दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की संसदीय अनिवार्यता का अनुपालन करने में विफल रहे। आईआईआईटी, धारवाड़ के **वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं** को सभा पटल पर रखने की तारीखों और सभा पटल पर रखने में हुए विलंब की सीमा को **परिशिष्ट-दो** में दिया गया है।

7. **आईआईआईटी**, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक के **वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं** को अंतिम रूप देने के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत **कालक्रमानुसार विवरण परिशिष्ट-तीन** में दिया गया है।

8. समिति ने आईआईआईटी, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को जानना चाहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

> *"संस्थान को 2015 में स्थापित किया गया: हालाँकि, इसे अगस्त 2017 में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किया गया और नियमित निदेशक ने भी 2017 में कार्य ग्रहण किया। प्रारंभिक विलंब संस्थान की स्थापना करने अर्थात आंकड़ों के संकलन तथा संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के रूप में घोषित करने के कारण हुआ। इसमें काफी समय लगा और फिर कोविड-19 महामारी के कारण भी कुछ विलंब हुआ। संस्थान ने वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया, हालाँकि, वार्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखाओं को संसद के सभा पटल पर रखने में कम विलंब हुआ। इसके अतिरिक्त, वर्तमान स्थिति के अनुसार, आईआईआईटी धारवाड ने 2020-21 तक के अपने वर्षिक लेखे और वर्षिक प्रतिवेदन जमा कर दिए हैं। वर्ष 2019-20 तक की वर्षिक प्रतिवेदन और वार्षिक लेखे सभा पटल पर रखे गए हैं। हालांकि, वर्ष 2020-21 तक के दस्तावेजों को संसद के मौजूदा मानसून सत्र में सभा पटल पर रखा जाएगा।""*

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और आईआईआईटी, धारवाड़ वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अपने दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की संसदीय अनिवार्यता का अनुपालन करने में विफल रहे। मंत्रालय/संस्थान भारतीय

सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी-भागीदारी) (आईआईआईटी-पीपीपी) अधिनियम, 2017 की धारा 37(2) का अनुपालन करने में भी विफल रहा जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन को प्रकाशित किया जाएगा और संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाएगा।

9. यह पूछे जाने पर कि क्या मंत्रालय/संस्थान ने उन चरणों की पहचान की है जिनमें इन वर्षों के दौरान विलंब हुआ है और यदि हां, तो मंत्रालय उक्त विलंब को कैसे कम करेगा, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

‘‘“वार्षिक प्रतिवेदनों/वार्षिक लेखापरीक्षित प्रतिवेदनों में वित्त समिति/शासी मंडल/सांविधिक लेखापरीक्षा आदि द्वारा दिए गए निर्देशों का उचित अवलोकन, विचार-विमर्श और अनुपालन शामिल है। विलंब के मुख्य कारणों में महामारी के कारण बैठकों के आयोजन में हुए विलंब को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग के स्तर से प्रत्येक संस्थान के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने की स्थिति को उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव के स्तर पर निगरानी की जा रही है। इस संबंध में सचिव,उच्चतर शिक्षा विभाग ने अपने दिनांक 22 मार्च, 2021 के अर्ध शासकीय पत्र संख्या 33-4/2020-टीएस.III, दिनांक 3 जून, 2021 के अर्ध शासकीय. पत्र संख्या 54-2/2021-टीएस. और दिनांक 01.02.2022 के अर्ध शासकीय समसंख्यक पत्र को वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए निर्धारित समय-सीमा हेतु परिचालित किया गया था और आईआईआईटी धारवाड़ सहित सभी संस्थानों को समय-सीमा का अनुपालन करने का अनुरोध किया था ताकि उक्त दस्तावेजों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखा जा सके।

संस्थान को समय-सीमा के अनुसार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है क्योंकि प्रक्रियाएं स्थापित और सुव्यवस्थित की गई हैं।"'

10. समिति ने शिक्षा मंत्रालय से यह जानना चाहा कि क्या उन्होंने लेखाओं की लेखापरीक्षा करने और लेखापरीक्षा अधिकारियों और आईआईआईटी से अंतिम लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की समय से प्राप्ति तथा संगत दस्तावेजों के अवलोकन हेतु किसी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का प्रस्ताव दिया था। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"मंत्रालय ने वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए समय-सीमा परिचालित की है और सभी संस्थानों से समयसीमा का पालन करने का अनुरोध किया ताकि उक्त दस्तावेजों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर संसद के दोनों सदनों में सभा पटल पर रखा जा सके। संस्थान को समय-समय पर ईमेल के माध्यम से वार्षिक लेखा और वार्षिक प्रतिवेदन समय पर जमा कराने हेतु स्मरण करवाया गया। मंत्रालय द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं की निगरानी समय सारणी के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है।"'

11. समिति ने लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन को सुगम बनाने हेतु लेखांकन की प्रक्रिया के डिजिटलीकरण और कम्प्यूटरीकरण की स्थिति के बारे में पूछा। मंत्रालय ने निम्नवत बताया:-

"लेखाओं के त्वरित और समय पर संकलन को सुगम बनाने हेतु आईआईआईटी-धारवाड़ में सभी वित्तीय रिकोर्डों को टैली ईआरपी के माध्यम से प्रबंधित और अनुरक्षित किया जा रहा है।"

12. इसके बाद समिति ने मंत्रालय से पूछा कि क्या आईआईआईटी के पास वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं के समय पर संकलन को सुनिश्चित करने हेतु कोई आंतरिक लेखापरीक्षा और सीएंडएजी की लेखापरीक्षा के समय लेखापरीक्षा संबंधी प्रश्नों को कम करने के लिए भी तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"हां, संस्थान के पास पूर्णकालिक आंतरिक लेखापरीक्षक के साथ-साथ एक बाहरी लेखापरीक्षा एजेंसी है।"

13. समिति ने शिक्षा मंत्रालय से यह भी पूछा कि क्या आईआईआईटी के दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय में इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी हेतु कोई आंतरिक तंत्र है। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि:-

"शिक्षा मंत्रालय वित्त समिति और शासी मंडल जिसमें कुछ सदस्य मंत्रालय से होते के माध्यम से प्रगति की निगरानी करता है।"

14. समिति ने मंत्रालय से निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय/संस्थान दोनों द्वारा किए जाने वाले उपचारात्मक उपायों पर एक नोट प्रस्तुत करने के लिए कहा। मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में बताया:

"वित्त समिति (एफसी) और शासी मंडल (बीओजी) की बैठकों का समय पर आयोजन से निर्धारित समय सीमा के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में भविष्य में होने वाले विलंब को रोका जा सकता है।"

15. दिनांक 18.07.2022 को शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और आईआईआईटी, धारवाड़ के प्रतिनिधियों के साक्ष्य के दौरान यह बताया गया कि -

> *" विलंब हुआ था क्योंकि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दो-चरणीय लेखापरीक्षा शुरू की थी। उन्होंने पहले ऑनलाइन लेखापरीक्षा की। उन्होंने हमें अपने सभी लेखाओं और दस्तावेजों को स्कैन करके भेजने के लिए कहा। उन्होंने एक ऑनलाइन लेखापरीक्षा की लेकिन उन्होंने इसे पूर्ण नहीं किया। उन्होंने रिपोर्ट जारी नहीं की। बाद में, लॉकडाउन के बाद, वे कैंपस आए और फिर लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पूरी की। इसलिए विलंब हुआ। "*

16. मंत्रालय के सचिव ने समिति के समक्ष बताया कि उन्होंने "पोर्टल" की शुरुआत की थी जो स्वयं बनाया गया था और सभी संस्थानों को इस पोर्टल की पहुंच दी गई। प्रत्येक संस्थान ने पोर्टल पर चरण-वार जानकारी अपलोड की और मंत्रालय उसकी निगरानी कर रहा है। समिति ने सुझाव दिया कि पोर्टल में एक चेतावनी प्रणाली शामिल की जाए जो दी गई समय-सारणी के अनुसार संस्थानों को उनका कार्य पूरा होने की समय सीमा से एक सप्ताह पहले चेतावनी दे। मंत्रालय के सचिव ने समिति को आश्वासन दिया कि वे इन सुझावों को अपने पोर्टल में शामिल करेंगे।

टिप्पणियां/सिफारिशें

17. समिति नोट करती है कि शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ ने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 की धारा 37(3) में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया है और सा.का.नि 237(iii) के अनुसार, जिसमें कहा गया है कि वार्षिक प्रतिवेदन के साथ आईआईआईटी के लेखाओं के लेखापरीक्षित विवरण तैयार किया जाएगा और वित्त वर्ष की समाप्ति से नौ महीने समाप्त होने से पहले इनको जारी किया जाएगा। वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक इन दोनों दस्तावेजों को सभापटल पर रखने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया है। वर्ष 2015-16 से 2020-21 (6 वर्ष) के लिए दस्तावेजों को 07 महीने से लेकर 22 महीने से अधिक के औसत विलंब से सभा पटल पर रखा गया था।

मंत्रालय/आईआईआईटी धारवाड़ ने भी आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017 की धारा 37(2) का अनुपालन नहीं किया, जिसके अनुसार बोर्ड द्वारा यथाअनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन को प्रकाशित किया जाएगा और संस्थान की वेबसाइट पर डाला जाएगा। समिति चाहती है कि इस संबंध में मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई से उसे अवगत कराया जाए।

18. आईआईआईटी, धारवाड़ के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलब के कारणों की जांच करते हुए, समिति नोट करती है कि संस्थान की स्थापना, निदेशकों की नियुक्ति, लेखाओं के संकलन; लेखापरीक्षा प्राधिकरण को लेखाओं की प्रस्तुति में विलंब, संस्थान के लेखाओं को अंतिम रूप देने के लिए लेखापरीक्षा प्राधिकरणों द्वारा लिये गए समय और दस्तावेजों को सदन के सभा पटल पर रखने में मंत्रालय द्वारा लिए गए समय के चरणों में विलंब हुआ था। समिति दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में उनके सामने आ रही वास्तविक समस्याओं को भी समझती है। तथापि, समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय द्वारा तैयार की गई समय-सारणी का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए ताकि दस्तावेज सदन के सभा पटल पर समय से रखे जा सकें।

19. समिति मंत्रालय से आग्रह करती कि यदि अपरिहार्य कारणों से, आईआईआईटी, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका, तो अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समय अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक विवरण 30 दिनों के भीतर या सभा के समवेत होते ही, जो भी बाद में हो, सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।

नई दिल्ली
29 मार्च 2023
चैत्र 8, 1945 (शक)

श्री गिरीश चन्द्र
सभापति
सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति
लोक सभा

वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 20.03.2023 को सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

<u>परिशिष्ट-एक</u>

<u>(प्रतिवेदन का पैरा 6 देखें)</u>

भारत सरकार द्वारा शिक्षा मंत्रालय (उच्चत्तर शिक्षा विभाग) के माध्यम से भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ को वर्ष-वार आवंटित निधियों (सहायता अनुदान) को दर्शाने वाला विवरण।

योजना के अनुसार, प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजीगत लागत **128.00** करोड़ रुपए होगी जिसमें केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदार (रों) का योगदान क्रमश: **50:35:15** के अनुपात में होगा (पूर्वोतर क्षेत्र के लिए यह **57.5:35:7.5** के अनुपात में होगा)। इसके अलावा, केन्द्र सरकार **10** करोड़ रुपए की राशि तक के आवर्ती व्यय के लिए सहायता देगी।

शिक्षा मंत्रालय ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार पहले ही ओएच-**35** (पूंजी) के तहत **64** करोड़ रुपये और ओएच-**31** (आवर्ती) के तहत **10** करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं:

	(लाख रुपये में)	
वर्ष	**ओएच-31**	**ओएच-35**
2016-17	200	400
2017-18	250	50
2018-19	0	200
2019-20	166	2950
2020-21	44	0
2021-22	75	100
कुल	**1,000**	**6,400**

<u>परिशिष्ट- दो</u>

<u>(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 06)</u>

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	**नियत तिथि**	**वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियां**	**विलंब की सीमा**
2015-2016	31.12.2016	10.08.2018	19 माह और 10 दिन
2016-2017	31.12.2017	10.08.2018	07 माह 10 दिन
2017-2018	31.12.2018	16.03.2020	14 माह 16 दिन
2018-2019	31.12.2019	29.11.2021	22 माह 29 दिन
2019-2020	31.12.2020	06.12.2021	11 माह 06 दिन
2020-2021	31.12.2021	08.08.2022	07 माह 08 दिन

परिशिष्ट - तीन

(देखिए इस प्रतिवेदन का पैरा 07)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने के संबंध में सूचना

उप प्रश्न	बिन्दु	वित्त वर्ष						
		2015-16	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-2020**	**2020-21***	**2021-22****
12(i)	लेखापरीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क की तारीख	29.6.2017	29.6.2017	18.6.2018	26.06.2019	5.7.2020	19.07.2021	30.6.2022
	लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा समय	3 माह	3 माह	3 माह	3 माह	3.5माह	3.5माह	2.5माह
12(ii)	सांविधिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की तिथि	9.09.2016	9.09.2016	18.9.2017	30.5.2018	20.11.2019	18.11.2020	20.9.2021
	लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षा अधिकारियों से संपर्क करने के बाद लगा समय	6.09.2016 शासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित	नवीकृत	नवीकृत	नवीकृत	नवीकृत	नवीकृत	नवीकृत
12(iii)	वार्षिक लेखाओं के संकलन की तिथि	20.06.2017	20.06.2017	10.06.2018	18.06.2019	25.06.2020	01.07.2021	16.6.2022
	लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा समय	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह
12(iv)	लेखापरीक्षकों को वार्षिक लेखे प्रस्तुत करने की तिथि	29.6.2017	29.6.2017	18.6.2018	26.06.2019	5.7.2020	19.07.2021	30.6.2022
	संबंधित लेखा वर्ष के समापन के बाद लगा समय	3 माह	3 माह	3 माह	3 माह	3.5माह	3.5माह	2.5माह
12(v)	सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा की तिथि और अवधि	26.7.2017से 4.8.2017 (2 सप्ताह)	26.7.2017 से 4.8.2017 (2सप्ताह)	16.07.2018 से20.07.2018 (1 सप्ताह)	19.08.2019 से 06.09.2019 (2सप्ताह)	19.10.2020 से 23.10.2020 (2 सप्ताह)यहां तक कि 17.09.2020 से 2 सप्ताह तक एक ऑनलाइन ऑडिट भी किया गया ।	09.08.2021 से 18.08.2021 (2सप्ताह)	प्राप्त नहीं हुआ है।

12(vi)	लेखापरीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं के पूरा करने के बाद लेखा परीक्षकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों की तिथि	26.7.2017 से 4.8.2017 (2 सप्ताह)	26.7.2017 से 4.8.2017 (2सप्ताह)	16.07.2018 से 20.07.2018 (1सप्ताह)	19.08.2019 से 06.09.2019 (2सप्ताह)	19.10.2020 से 23.10.2020 (2 सप्ताह) यहां तक कि 17.09.2020 से 2 सप्ताह तक एक ऑनलाइन ऑडिट भी किया गया ।	09.08.202 से 18.08.2021 (2सप्ताह)	प्राप्त नहीं हुआ है।
	लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान/ वार्षिक लेखाओं को पूरा करने के बाद लेखापरीक्षा प्राधिकारियों के समक्ष प्रश्न उठाने में लेखापरीक्षकों द्वारा लिया गया समय	सीएजी को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजने के 1 महीने बाद	सीएजी को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजने के 1 महीने बाद	सीएजी को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजने के 1 महीने बाद	सीएजी को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजने के 1 महीने बाद	सीएजी को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजने के 1 महीने बाद	सीएजी को ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट भेजने के 1 महीने बाद	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(vii)	तिथि जिस पर लेखा परीक्षा प्रश्नों के उत्तर लेखा परीक्षकों को प्रस्तुत किए गए थे	26.7.2017से 4.8.2017 (2 सप्ताह)	26.7.2017 से 4.8.2017 (2 सप्ताह)	16.07.2018 से 20.07.2018 (1 सप्ताह)	19.08.2019 से 06.09.2019 (2 सप्ताह)	19.10.2020 से 23.10.2020 (2 सप्ताह) यहां तक कि 17.09.2020 से 2 सप्ताह तक एक ऑनलाइन ऑडिट भी किया गया ।	09.08.2021से 18.08.2021 (2 सप्ताह)	प्राप्त नहीं हुआ है।
	प्रश्नों को हल करने में लिया गया समय	26.7.2017 से 4.8.2017 (2 सप्ताह)	26.7.2017 से 4.8.2017 (2 सप्ताह)	16.07.2018 से 20.07.2018 (1 सप्ताह)	19.08.2019 से 06.09.2019 (2 सप्ताह)	19.10.2020 से 23.10.2020 (2 सप्ताह) यहां तक कि 17.09.2020 से 2 सप्ताह तक एक ऑनलाइन ऑडिट भी किया गया ।	09.08.2021 से 18.08.2021 (2सप्ताह)	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(viii)	वह तिथि जिस पर लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा रिपोर्ट का	9.10.2017	9.10.2017	03.10.2018	12.11.2019	21.12.2020	30.11.2021	प्राप्त नहीं हुआ है।

	प्रारूप जारी किया गया था							
	वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा के बाद लिया गया समय	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	3 माह	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(ix)	वह तिथि जिस पर संस्थान द्वारा अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुआ	10.12.2017	10.12.2017	03.12.2018	13.01.2020	15.03.2021	सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना है।	प्राप्त नहीं हुआ है।
	प्रारूप प्रतिवेदन जारी होने के बाद लगने वाला समय	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	2.5 माह	सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना है।	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(x)	वार्षिक लेखों को प्राप्त करने के बाद लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा संस्थान को अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लिया गया कुल समय	2 माह	2 माह	2 माह	2 माह	2.5 माह	09.2.2022	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(xi)	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने की तिथि	10.12.2017	10.12.2017	18.10.2018	08.09.2019	16.03.2021	20.12.2021	प्राप्त नहीं हुआ है।
	वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद लिया गया समय; और	एक वर्ष 9 माह	9 माह	7 माह	6 माह	12 माह	11 माह	प्राप्त नहीं हुआ है।
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	15 दिन	15 दिन	16 दिन	17 दिन	15 दिन	20.12.2021	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(xii)	वह तिथि जिस पर सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों को अनुमोदित किया गया था	28.12.2017	28.12.2017	24.10.2018	16.09.2019	24.03.2021	20.12.2021	प्राप्त नहीं हुआ है।
	वार्षिक प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के बाद लिया गया समय	15 दिन	15 दिन	15 दिन	15 दिन	15 दिन	सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना है	प्राप्त नहीं हुआ है।
	अंतिम लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद लिया गया समय	15 दिन	15 दिन	15 दिन	15 दिन	15 दिन	सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा किया जाना है	प्राप्त नहीं हुआ है।

12(xiii)	वह तिथि जिस पर दस्तावेजों को अनुवाद और मुद्रण के लिए लिया गया था	26.12.2017	26.12.2017	29.12.2019	21.01.2020	23.03.2021	15.3.2022	प्राप्त नहीं हुआ है।
	प्रत्येक चरण में कार्य को पूरा करने के लिए लिया गया समय.	निर्धारित समय के साथ पूरा किया गया	निर्धारित समय के साथ पूरा किया गया	निर्धारित समय के साथ पूरा किया गया	कोविड महामारी के कारण इसमें 3 माह का विलंब हुआ	कोविड महामारी के कारण इसमें 3 माह का विलंब हुआ	कोविड महामारी के कारण इसमें 3 माह का विलंब हुआ	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(xiv)	प्रत्येक स्तर पर कार्य पूरा होने के बाद सभा में रखे जाने के लिए मंत्रालय को दस्तावेज भेजने की तारीख	28.12.2017	28.12.2017	14.03.2019	04.02.2020	30.6.2021	13.5.2022	प्राप्त नहीं हुआ है।
	मंत्रालय के दस्तावेजों को भेजने में संगठनों द्वारा लिया गया समय	28.12.2017	28.12.2017	14.03.2019	04.02.2020	30.6.2021	13.5.2022	प्राप्त नहीं हुआ है।
12(xv)	दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने की तिथि	2019 में रखी गई	2019 में रखी गई	19.3.2020 को राज्य सभा में,16.3.2020 लोक सभा में	9.8.2021 को राज्य सभा में 8.2.2021 को लोक सभा में	9.8.2021 को राज्य सभा में ,6.12.2021 को लोक सभा में	प्राप्त नहीं हुआ है।	प्राप्त नहीं हुआ है।
	संस्थान से दस्तावेजों की प्राप्ति के बाद लिया गया समय	2 वर्ष	2 वर्ष	1.5 वर्ष	1 वर्ष	6 माह	प्राप्त नहीं हुआ है।	प्राप्त नहीं हुआ है।

* वर्ष 2020-21 के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 08.08.2023 को सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

**वर्ष 2021-22 के लिए आवश्यक दस्तावेज दिनांक 20.03.2023 को सभा पटल पर रख दिया गया हैं।

परिशिष्ट-पांच

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति की 18 जुलाई, 2022 को हुई नौवीं बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक सोमवार, 18 जुलाई, 2022 को 15:00 बजे से 16:15 बजे तक समिति कक्ष 'ग', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

(लोक सभा)

2. डॉ. ए. चेल्लाकुमार
3. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
4. श्री टी.एन. प्रथापन
5 श्री सप्तगिरी शंकर उलाका

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री सुंदर प्रसाद दास - निदेशक
3. श्री उत्तम चंद भारद्वाज - अपर निदेशक

साक्षी

<u>शिक्षा मंत्रालय</u>

<u>(उच्चतर शिक्षा विभाग)</u>

1	श्री के. संजय मूर्ति	-	सचिव
2	श्री विनीत जोशी	-	अपर सचिव
3	सुश्री मनमोहन कौर	-	एडवाइजर (कॉस्ट)

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, हुबली

प्रो. कवि महेश - निदेशक

XX XX XX

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन (एक) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़, हुबली; (दो) XX XX XX के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले को लिया।

शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), आईआईआईटी के साक्षियों को अंदर बुलाया गया।

4. सभापति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), आईआईआईटी के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बैठक की कार्यसूची के बारे में जानकारी दी। सभापति ने साक्षियों को कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश के निदेश 55 (1) के प्रावधानों के बारे में भी बताया।

5. इसके बाद, शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) के प्रतिनिधियों ने आईआईआईटी की उत्पत्ति और कार्यकरण के बारे में एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन दिया। तत्पश्चात्, समिति ने उक्त आईआईआईटी के दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में बार-बार और अत्यधिक विलंब के विशिष्ट कारणों के बारे में जानना चाहा।

XX XX XX

6. जहां तक आईआईआईटी धारवाड़ के आवश्यक दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब का संबंध है, मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि संस्थान वर्ष 2015 में स्थापित किया गया था और अगस्त, 2017 में इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। प्रारंभिक वर्षों में संस्थान की स्थापना, आंकड़ों का संकलन, राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने और कोविड महामारी को दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलंब का कारण बताया गया था। हालांकि, प्रतिनिधि ने समिति को आश्वस्त किया कि आईआईआईटी, धारवाड़ के वर्ष 2020-21 के आवश्यक दस्तावेजों को मानसून सत्र के दौरान सभा पटल पर रखा जाएगा।

XX XX XX

8. समिति को यह भी बताया गया था कि मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। सभी संस्थाओं को आईडी दे दी गई है। सभी संस्थाओं को प्रत्येक चरण में वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति को अद्यतन करने का अनुदेश दिया गया है ताकि मंत्रालय व्यक्तिगत रूप से इन संस्थाओं की निगरानी कर सके।

9. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने शिक्षा मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग), आईआईआईटी के प्रतिनिधियों को उनके निष्पक्ष और स्पष्ट विचारों के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी गई है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

****

<u>परिशिष्ट-पांच</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-2023) की 29.03.2023 को हुई चौथी बैठक के कार्यवाही सारांश के उद्धरण।

<u>सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2022-23)</u>

समिति की बैठक गुरुवार, 29 मार्च, 2023 को 15:00 बजे से 16:00 बजे तक समिति कमरा सं. 'ग ', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री गिरीश चन्द्र - ***सभापति***

सदस्य

(लोक सभा)

2. **श्री शफीकुर्रहमान बर्क**
3. श्री चौधरी मोहन जटुआ
4. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
5. श्री टी.एन. प्रथापन

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवल के. वर्मा	-	निदेशक
3.	श्री उत्तम चंद भारद्वाज	-	अपर निदेशक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति के सदस्यों का बैठक में स्वागत किया और उन्हें कार्यसूची से अवगत कराया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 कीगई कार्रवाई- प्रतिवेदनों पर विचार करने और स्वीकार करने के लिए लिया - :

1. x x x x x;
2. x x x x x;
3. x x x x x;
4. x x x x x;
5. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, धारवाड़ के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलंब;
6. x x x x x;
7. x x x x x;
8. x x x x x
9. x x x x x
10. x x x x x
11. x x x x x
12. x x x x x

समिति द्वारा 6 प्रारूप प्रतिवेदनों और 6 की-गई कार्रवाई प्रतिवेदनों पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। सभापति को समिति द्वारा इन प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और लोक सभा में प्रस्तुत करने के लिए प्रधिकृत किया गया ।

xx xx xx xx

(बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रखी जाती है।)

इसके बाद समिति स्थगित हो गई।

****